न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2628–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–06–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 93/अपील/2011–12 ।

.....

सुरेन्द्र कुमार आ0 लछीराम
निवासी ग्राम चीचली तहसील सोहागपुर
जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

मुलियाबाई पत्नि विश्राम पुत्री नामालूम
निवासी ग्राम पीथमपुर तहसील बरेली जिला रायसेन

..... अनावेदिका

.....

श्री चन्द्रेश जैन, अभिभाषक–आवेदक
श्री आर0आर0पटेल, अभिभाषक–अनावेदिका

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मौजा चीचली तहसील सोहागपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 61 रकबा 10.10 एकड़ शासकीय अभिलेख में लछीराम पिता परमसुख के नाम दर्ज थी । लछीराम की मृत्यु होने पर अनावेदिका की मॉ एवं अनावेदिका का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किया गया । वर्ष 1986–87 में बिना किसी आदेश के खसरे में आवेदक का नाम गोमतीबाई के साथ

दर्ज कर अनावेदिका का नाम विलोपित कर दिया गया । उक्त त्रुटि सुधार हेतु अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 19–11–2010 को आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–6–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक मृतक भूमिस्वामी लछीराम का दत्तक पुत्र है और उसे दिनांक 15–4–1987 को पंजीकृत गोदनामा से गोद लिया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई और तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक मृतक भूमिस्वामी का दत्तक पुत्र नहीं है और अनावेदक मृतक भूमिस्वामी की वैध वारिस है । यह भी कहा गया कि गोदनामा फर्जी है और उसमें गोद लेने वाले की फोटो संलग्न नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गोमतीबाई को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश से संशोधन पंजी कमांक 186 पर पारित आदेश दिनांक 10–9–1986 को निरस्त किया गया है एवं प्रश्नाधीन भूमि पर मुलियाबाई एवं गोमतीबाई का नाम यथावत् रखने का आदेश

दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा वर्ष 1986 के पूर्व की स्थिति नहीं देखी गई है कि वर्ष 1986 के पूर्व प्रश्नाधीन भूमि पर अभिलिखित भूमिस्वामी कौन थे । अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों में उभयपक्ष द्वारा समानान्तर कार्यवाही की जाती रही है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर भी कोई विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक सुरेन्द्र कुमार का नाम कैसे और किस प्रकार दर्ज हुआ ? अतः स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा आयुक्त के द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये सभी बिन्दुओं की जॉच की जाये और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य ली जाकर प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–06–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2011 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर